

46

153

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल परिसद ग्वालियर

न्यायालय श्रृंखला रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

R. 509-115



गोपाल सिंह परिहार तनय स्व0 दल प्रताप सिंह परिहार उम्र-70 वर्ष, पेशा वकालत निवासी ग्राम मुठिगवा तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता

बनाम

1. राघवेन्द्र सिंह परिहार तनय स्व0 दलप्रताप सिंह परिहार निवासी ग्राम मुठगवां, तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)
2. दददू सिंह परिहार तनय स्व0 दल प्रताप सिंह परिहार
3. मुस0 सुशीला सिंह बेवा पत्नी तेजबहादुर सिंह
4. कमलाकर सिंह तनय स्व0 तेजबहादुर सिंह

सभी निवासी मुठिगवां, तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)

-----उत्तरवादीगण

राजस्व निगरानी

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास जिला-सीधी के न्यायालयीन रा0प्र0क्र0 28/अ-51/ 10-11 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2011 जिसके आधार पर आवेदक को बिना तलब किये ही आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये विधि विरुद्ध रूप से आवेदक को बटवारा में प्राप्त भूमियों का नक्शा तर्मीम अनावेदक क्रमांक 2 के नाम किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

पक्षकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर

श्री. जयराम सिंह एड  
द्वारा आज दिनांक 6-10-15 के  
समय किया गया।

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5091-दो / 2015

जिला-सीधी

गोपाल सिंह परिहार / राघवेन्द्र सिंह परिहार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जसराम सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 28/अ-5/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

(बी.एम.शर्मा),  
सदस्य

MA